

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अनुपालन में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (वृत्तीय संवर्ग) के द्वारा दुर्गम से सुगम अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु दिये गये विकल्प

सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों द्वारा दिये जाने वाले 10 ऐच्छिक स्थानों का प्रारूप-1

क्र० सं०	कर्मचारी कोड	नाम / पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	10 ऐच्छिक स्थान	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	42008009	श्री नरेन्द्र सिंह रावत / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	8वाँ वृत्त लो०नि०वि० नई टिहरी	9वाँ वृत्त लो०नि०वि० देहरादून 10वाँ वृत्त लो०नि०वि० देहरादून	प्रार्थी वरिष्ठ कार्मिक हैं एवं प्रार्थी की सेवानिवृत्ति माह मई / 2025 में होने के फलस्वरूप वर्तमान कार्यालय में रहने के इच्छुक हैं। स्थानान्तरण एकट के विन्दु संख्या 17 (ख) विन्दु संख्या छः में भी दुर्गम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध का प्राविधान है। अतः अनुरोध है, कि कृपया मेरा स्थानान्तरण दुर्गम स्थान (8वाँ वृत्त, लो०नि०वि० नई टिहरी) में ही करने की कृपा करें, मैं अपनी सेवाएँ दुर्गम स्थल पर ही देने हेतु तैयार हूँ तथा भविष्य में इस हेतु मेरे द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

हस्ताक्षर

नाम:- नरेन्द्र सिंह रावत

पदनाम:- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
08वाँ वृत्त लो०नि०वि०, नई टिहरी

हस्ताक्षर

नाम:- ई० एन०पी० सिंह

पदनाम:- अधीक्षण अभियन्ता
08वाँ वृत्त लो०नि०वि०, नई टिहरी